दिनांक 25.02.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न सड़क सुरक्षा के संबंध में बैठक की कार्यवाहीः–

दिनांक 24.02.2018 को मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत धर्मपुर गाँव के निकट बोलेरो द्वारा कुल 09 स्कूली बच्चों की कुचलने से हुई मृत्यु तथा कई अनेक व्यक्तियों के घायल होने की सूचना के तुरंत पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव, गृह विभाग, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, सचिव, परिवहन विभाग, राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत की।

1. बैठक में बिहार राज्य की स्थिति विशेष की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराया गया कि यहाँ पर आबादी की सघनता अधिक है और सार्वजनिक जीवन में ट्रैफिक स्वअनुशासन का प्रायः अभाव है। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। राज्य में जैसे–जैसे सड़कों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है वाहनों की औसत गति में भी वृद्धि होती जा रही है और लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएँ हो रही है। अतः राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इस समस्या के संरचनात्मक, कानूनी तथा जागरूकता संबंधी पहलुओं पर कार्रवाई करने हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निम्नलिखित पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निदेश दिया :–

    1. विकास आयुक्त : अध्यक्ष
    2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना।
    3. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
    4. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
    5. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
    6. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।
    7. सचिव–सह–विधि परामर्शी, बिहार, पटना।
    8. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।
    9. सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना।
    10. राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना।
    11. क्षेत्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बिहार, पटना।

2. केन्द्र सरकार के मोटर ड्राइविंग रेग्यूलेशन तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा पर गठित समिति के निदेशों के तहत राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए स्पीड गर्वनर, रिफ्लेक्टिंग टेप, वाहन जाँच, फिटनेश जाँच एवं हेलमेट का उपयोग आदि बिन्दुओं पर कार्रवाई की जा रही है।

3. परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग को यातायात नियमों के अनुपालन हेतु सघन अभियान चलाने का निदेश दिया गया।

4. बिहार राज्य में सड़क दुर्घटना के दृष्टिकोण से Black Spots चिन्हित किये गये हैं और इन्हें दुर्घटना रहित बनाने के लिए वहाँ सड़कों में विभिन्न प्रकार के साईनेज, सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाईडर इत्यादि का निर्माण कराने का निदेश पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा राष्ट्रीय उच्च पथ एवं संबंधित विभागों को दिया गया।

5. साथ ही साथ इन विभागों को यह भी निदेश दिया गया कि भविष्य में किसी भी नये पथ का निर्माण बिना रोड सेफ्टी ऑडिट के नहीं किया जाय एवं सड़क सुरक्षा के सभी मानकों को प्राक्कलन में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाय। सभी जिला सड़क सुरक्षा समिति को निदेश दिया गया कि जिलान्तर्गत जिन सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है उन सड़कों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ रोड सेफ्टी ऑडिट कराते हुए प्राप्त अनुशंसाओं को लागू करना सुनिश्चित किया जाय।

6. जहाँ–जहाँ आबादी का घनत्व ज्यादा है तथा अगल–बगल गाँव, स्कूल अथवा बसावट हों एवं आम नागरिक अपनी रोजी–रोटी या जीविका के उद्देश्य से सड़क पार करते हों, वैसे स्थानों पर भविष्य में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा राष्ट्रीय उच्च पथ को निदेश दिया गया कि रैम्प के साथ फुट ओवरब्रिज (Foot Over Bridge) एवं Underpass का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि इसका उपयोग सामान्यजन के साथ दिव्यांग भी कर सके। साथ ही साथ इस फुट–ओवरब्रिज से पशुओं को भी ले जाया जा सके।

7. सड़क दुर्घटना के गंभीर मामलों में (जहाँ वाहन चालक निर्धारित गति सीमा से अधिक गति में वाहन चला रहे हो, या जहाँ वाहन चालक द्वारा नशापान किया गया हो अथवा जहाँ पुराने जर्जर वाहन का परिचालन किया जा रहा हो) जिसमे सामूहिक रूप से मासूम लोगों की मृत्यु हो में, वैसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे मामले में केन्द्रीय कानून होने के चलते राज्य सरकार की ओर से कानून में उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का निदेश दिया गया।

8. राज्य में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाने एवं ट्रैफिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट (Traffic Research Institute) की स्थापना करने का पुलिस विभाग द्वारा निदेश भी दिया गया। उन्हें विस्तृत प्रस्ताव देने का निदेश दिया गया।

7/3/18

मुख्य सचिव, बिहार,
पटना।

ज्ञापांक 1609 /पटना, दिनांक 6.03.18

प्रतिलिपि–पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/शिक्षा विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव–सह–विधि परामर्शी, विधि विभाग/अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

6/3/18

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1609 /पटना, दिनांक 6.03.18

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6/3/18

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।